

राजस्थान सरकार

याचालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सेइवा
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प अरडी

:-आदेश:-

पार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी अरडी व भू.अ.नि. अरडी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सेइवा / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला की नमायन्दी सम्वत् २०७२-७५ में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
① अरडी	169	रा.जा.बि. अरडी	रा.मा.उ.का.बि. अरडी
② सिधारिपा	328	रा.गा.पा. भीलोडी शर्णी	रा.जा.बि. भीलोडी शर्णी
③ अरडी	170	रा.जा.बि. अरडी बुधिया	रा.जा.बि. अरडी BEFO
④ अरडी	106	BEFO प.स. कोटन	प.स. सेइवा
		रा.जा.बि. अरडी	रा.मा.बि. अरडी

(सेइवा)
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत अरडी
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर सेइवा

दिनांक :-

दिनांक :-

प्रति लिपि :-

1. तहसीलदार सेइवा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर प्रार्थना रिपोर्ट भिजवाये।
2. पार्थी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत अरडी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
सेइवा